Annexure – LXXXI

उत्तरांचल शासन
संख्या 305 / XXII / 2005 –9(33)2005
सचिवालय, देहरादून, 2005
दिनांक 13 दिसम्बर 2005

अधिसूचना
नियम

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (अधिनियम संख्या 22, वर्ष 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ड.) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते है :

राज्य सूचना आयोग (अपील प्रकिया) नियम, 2005

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राज्य सूचना आयोग (अपील प्रकिया) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2– **परिभाषायें** : इन नियामें मे जब तक कि संन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों : –

(क) **"अधिनियम"** से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है।

(ख) **"धारा"** से अधिनियम की धार अभिप्रेत है।

(ग) "आयोग" से राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है।

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमे प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3– **अपील की विषय वस्तु** : आयोग का प्रस्तुत की जाने वाली अपील में सूचना का निम्नलिखित विषयवस्तु होगी अर्थात : –

(I) अपीलार्थी का नाम व पता

(II) राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता, जिसके निर्णय के विरूद्ध अपील की गई है।

(III) आदेशों के विवरण संख्या सहित यदि कोई हो, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है।

(IV) अपील के मुख्य संक्षिप्त तथ्य

(V) यदि अपील इन्कार समझी गयी हो तो ऐसे आवेदन पत्रों का विवरण संख्या सहित तारीख राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता जिसको आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था।

(VI) ईप्सित अनुतोष या प्रार्थना।

(VII) ईप्सित अनुतोष या प्रार्थना पत्र के आधार।

(VIII) अपीलार्थी द्वारा सत्यापन, और,

(IX) अन्य कोई सूचना जिसे आयोग अपील के निर्णय के लिये आवश्यक समझे।

4. **अपील के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज** : आयोग को की जाने वाली प्रत्येक अपील में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे अर्थात

(I) उन आदेश व दस्तावेजों की स्पप्रमाणित प्रतियां जिनके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही है।

(II) अपीलार्थी द्वारा अपील में निर्दिष्ट और सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतिलिपि जिनका अपील में आधार लिया गया है, और

(III) अपील में निर्दिष्ट दस्तावेजों की अनुक्रमाणिका।

5. अपील के निर्णय की प्रक्रिया : आयोग :–

(I) सम्बन्धित या हितबद्ध व्यक्ति से शपथ या शपथपत्र पर मौखिक या लिखित साक्ष्य सुनेगा।

(II) दस्तावेजों, लोक अभिलेखों या उनकी प्रतिलिपियों का परिशीलन या निरीक्षण कर सकेगा।

(III) अधिकृत अधिकारी द्वारा अग्रेत्तर विवरण या तथ्यों की जांच कर सकेगा।

(IV) राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी या ऐसा वरिष्ठ अधिकारी जो प्रथम अपील निर्णित करता हो या ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध शिकायत की गयी हो जैसी स्थिति हो, को सुन सकेगा।

(V) तीसरे पक्ष को सुनेगा और

(VI) किसी तीसरे पक्ष या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी या ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जिसने प्रथम अपील सुनी हो या ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध शिकायत हो से शपथ पत्र पर साक्ष्य ले सकेगा।

6– **आयोग द्वारा नोटिस तामील किया जाना** : आयोग द्वारा जारी नोटिस निम्न में से किसी भी प्रकार तामील किया जा सकेगा :

(I) स्वयं पक्षकार के माध्यम से।

(II) तामील कर्ता के माध्यम से दस्ती।

(III) पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा या

(IV) कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से।

7. अपीलार्थी या परिवादी की व्यक्तिगत उपस्थितिः–

1. अपीलार्थी या परिवादी जैसी भी स्थिति हो, को सुनवाई के लिये पूर्ण सात दिवसों के पूर्व सूचित किया जायेगा।
2. अपीलार्थी या परिवादी जैसी भी स्थिति हो, आयोग विवेकानुसार अपील या परिवाद की सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकेगा या उपस्थित न होने का विकल्प ले सकेगा।
3. जहां आयोग का यह समाधान हो जाये कि ऐसी परिस्थितियां है, जिके कारण अपीलार्थी या परिवादी, जैसी भी स्थिति हो, को आयोग की सुनवाई में उपस्थित होने से रोका गया है, तक आयोग अपीलार्थी या परिवादी, जैसी भी स्थिति हो, को अंतिम निर्णय लेने से पूर्व सुनवाई का अवसर देगा, या जैसा उचित समझें सम्यक कार्यवाही कर सकेगा।
4. अपीलार्थी या परिवादी, जैसी स्थिति हो, आवेदन की प्रक्रिया में अपना पक्ष रखन में किसी भी व्यक्ति का सहयोग ले सकेगा और सम्बन्धित व्यक्ति को अधिवक्ता होना आवश्यक नही होगा।

8. आयोग के आदेश – आयोग के आदेश खुले में सुनाये जायेंगे और आयोग द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी या निबन्धक द्वारा लिखित में अभिप्रमाणित किये जायेंगे।

(डी.के. कोटिया)
सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 305/XXII/200509(32)2005, dated 3 December,2005 for general information.

Government of Uttaranchal
Department of Information
No-305 /XXX/2005
Secretarial Dehradun
Dated 13 December, 2005

In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Governor hereby makes the following rules, the State information and Commencement : (I) These rules may be called the State Information Commission (Appeal Procedure) Rules, 2005.

1- **Short title and Commencement :** (I) These rules may be called the State Information Commission (Appeal Procedure) Rules, 2005.

(2) They shall come in to force on the date of their publication in Official Gazette.

2- **Definitions:** In these rules, unless the context otherwise require,

(a) **"Act"** means the Right to Information Act, 200,

(b) **"Section"** means section of the Act;

(c) **"Commission"** means the State Information Commission;

(d) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Right to information Act, 2005 Shall have the meaning respectively assigned to them in that Act.

3- **Contents of Appeal:** An appeal to the Commission shall contain the following information namely :-

(i) name and address of the appellant;

(ii) name and address of the State Publication Information Officer against the decision of whom the appeal is preferred;

(iii) particulars of the order including number, if any, against which the appeal is preferred;

(iv) brief facts leading to the appeal;

(v) if the appeal is preferred against deemed refusal, the particulars of the application, including number and date and name and address of the State Public Information Officer to whom application was made;

(Vi) prayer or relief sought;

(vii) grounds for the prayer or relief;

(viii) verification by the appellant and

(ix) any other information which the Commission may deem necessary for deciding the appeal.

4- **Documents to accompany appeal :** Every appeal made to the Commission shall be accompanied by the following documents namely : -

(i) self attested copies of the Orders or documents against which the appeal is being preferred.

(ii) copies of documents relied upon by the appellant and referred to in the appeal; and

(iii) an index of the documents referred to in the appeal

5. **Procedure in deciding appeal :** in deciding the appeal the Commission may;

(i) hear oral or written evidence on oath or on affidavit from concerned or interested person;
(ii) peruse or inspect document, public records or copies thereof;
(iii) inquire through authorized officer further details or facts;
(iv) hear State Public Information Officer, Assistant appeal, as the case may be hear third party and;
(v) hear third party and;
(vi) receive evidence on affidavits from State Public information Officer, State Assistant Public Information Officer, such Senior Officer who decided the first appeal, Such person against whom the complaint lies or third party.

6- **Service of notice by Commission :** Notice to be issued by the Commission may be served in any of the following modes, namely;

(i) service by the party itself;
(ii) by hand delivery (Dasti) through Process Server,
(iii) by registered post with acknowledgement due; or
(iv) through Head of office or Department.

7- **Personal presence of the appellant or complainant :**

(i) the appellant or the complainant, as the case may be, shall in every case be informed of the date of hearing at least seven clear days before that date.
(ii) The appellant or the complainant, as the case may be, may at his discretion at the time of hearing of the appeal or complaint by the Commission be present in person or through his duly authorized representative or may opt no to be present.
(iii) Where the Commission is satisfied that the circumstances exist due to which the appellant or the complainant, as the case may be, is being prevented from attending the complainant, as the case may be, another opportunity of being heard before a final decision is taken or take any other appropriate action as it may deemed fit.
(iv) The appellant or the complainant, as the case may be, may seek the assistance of any person in the process of the appeal while presenting his points and the person representing him may not be a legal practitioner.

8- **Order of the Commission :** Order of the Commission shall be pronounced in open proceedings and be in writing duly authenticated by the Registrar or any other officer authorized by the Commission for this purpose.

(D.K. Kotia)
Secretary